न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12/2018	12.04.2018	30.07.2025

मूर्ति मंदिर बालाजी विराजमान ग्राम मिर्जापुर जरिए वादमित्र पुजारी प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 शिवदयाल, ब्राह्मण निवासी दशहरा मैदान, गंगापुर सिटी

——प्रार्थी

बनाम

नगर परिषद, गंगापुर सिटी जरिए आयुक्त ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
अधिवक्ता, नगर परिषद, गंगापुर सिटी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बालाजी मूर्ति मंदिर वाके ग्राम मिर्जापुर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 210 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह व ख0न0 211 रकबा 0.48 है0 ग्राम मिर्जापुर मे स्थित है। इसकी सार संभाल का कार्य वादमित्र पुजारी के द्वारा करवाया जा रहा है। इस भूमि के चारो ओर प्रार्थी ने डौल मेड करा रखी है। अप्रार्थी का उपरोक्त वर्णित भूमि से कोई वास्त नही है परन्तु अप्रार्थी संस्था के कर्मचारी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की डौलमेड को नष्ट करने पर ऊतारू है। प्रार्थी को नोटिस दिये बिना दिनांक 26.3.2018 को अप्रार्थी के कर्मचारियों ने प्रार्थी की भूमि पर डौल मेड पर लगी हुई करीब 25 पट्टियो को नाजायज तौर से तोड दिया है, खेत मे बनी हुई झोपडी का तोड दिया है। प्रार्थी के रखे हुए इंजन का सामान, पुर्जे व घरेलू सामान को नष्ट कर दिया है जिससे प्रार्थी को करीब पचास हजार रूपये का नुकसान हो गया है। जब प्रार्थी ने इसकी शिकायत अप्रार्थी से की तो अप्रार्थी ने कहा कि वे भूमि ख0न0 211 मे प्लाट कटवाकर अ[illegible]स्ती बनायेगें तथा डौल मेड को नष्ट कर प्रार्थी की भू[illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला [illegible] इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि ख0न0 201

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:53:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (स0मा0)

गैर मुमकिन चाह व ख0न0 211 रकबा 0.48 है0 ग्राम मिर्जापुर के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना किसी अन्य से करावे, भूमि की डौल मेड, वृक्षों को ना तो स्वयं नष्ट करे ना किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी की भूमि मे किसी का प्रकार निर्माण ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि मूर्ति मंदिर श्री बालाजी महाराज के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह भूमि मूर्ति शाश्वत नाबालिग की भूमि है जिसे खुर्द बुर्द करने का किसी को कोई अधिकार नही है। भूमि की सुरक्षा करने का दायित्व राज्य सरकार का है। मिन जबाबदार द्वारा मूर्ति की भूमि मे किसी प्रकार का कोई कार्य नही किया गया है। दिनांक 26.3.2018 का घटनाक्रम मिथ्या एवं काल्पनिक है। दिनांक 3.4.2018 को किसी प्रकार का कोई वार्तालाप पक्षकारों के मध्य नही हुआ है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला साबित नही है एवं वह अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 170 ग्राम मिर्जापुर प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत मामले मे वादग्रस्त भूमि ख0न0 210, 211 की भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त गंगापुर सिटी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जो प्राप्त होकर पत्रावली मे संलग्न है।

अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है।

बहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुरसिटी (सवा0)

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 170 ग्राम मिर्जापुर के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 210, 211 प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि अप्रार्थी के कर्मचारियों ने प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि की डौलमेड मे लगी पट्टियों को हटा दिया है, वृक्षों को नष्ट कर दिया है व भूमि मे बनी झोपडी को नष्ट कर दिया है। इसके विपरित अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने घटनाक्रम मिथ्या दर्ज किया है। इस सम्बन्ध मे भू अभिलेख निरीक्षक गंगापुर सिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.1.2019 के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 210 गैर मुमकिन चाह मौके पर सिचाई के काम आ रही है एवं ख0न0 211 रकबा 0.24 है0 मे मौके पर गेहूँ की फसल खडी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कही स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा अथवा अप्रार्थी के कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की भूमि मे उसे काश्त मे कोई मजामहत की गई है एवं उसकी डौलमेड आदि को नष्ट किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित घटना क्रम प्रमाणित नही होता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)